



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1947 (श10)

(सं० पटना 1667) पटना, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025

सं० 14/AMRUT-25-27/2025 / 3604—न०वि०एवंआ०वि०  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

4 अक्टूबर 2025

विषय:— केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रु० 1,21,87,73,034/- (एक सौ इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार चौतीस रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रुपये 26,20,00,00,000/- (छब्बीस सौ बीस करोड़ मात्र) की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

2. जलापूर्ति जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहरों में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व में कार्यान्वित की जा रही अमृत योजना, पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार वित्त पोषित होता रहेगा।

3. योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्स कमिटी, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी-एस0एच0पी0एस0सी0) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्नीकल कमिटी-एस0एल0टी0सी0) के गठन किये जाने का प्रावधान है।

4. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति/सिवरेज/पार्क/जल स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु रुपये 8481.138 करोड़ (आठ हजार चार सौ ईक्कासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु० मात्र) के अनुमानित मूल्य पर सिटी वाटर ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें

केन्द्रांश रुपये 2619.768 करोड़, राज्यांश (एस0एस0+यू0एल0बी0) रुपये 5838.369 करोड़ एवं 15वाँ वित्त आयोग की राशि रुपये 23.00 करोड़ शामिल है। 64 परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तैयार किये गये सिटी वाटर ऐक्शन प्लान का प्रस्ताव स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी के समक्ष रखा गया, जिसपर समीक्षोपरांत राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस0एच0पी0एस0सी0) द्वारा दिनांक-12.09.2023 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरांत अपेक्स कमिटी द्वारा दिनांक-25.09.2023 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश की राशि रुपये 400.00 करोड़ तथा इसके समानुपातिक राज्यांश की राशि रुपये 800.00 करोड़ अर्थात् कुल राशि रुपये 1200.00 करोड़ प्राप्त हुआ है।

5. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजनान्तर्गत बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना की विवरणी निम्नवत है:-

(राशि करोड़ ₹0)

| क्र0सं0  | परियोजनाओं का नाम एवं विवरणी                                                                                                                                                                                                                          | प्राक्कलित राशि | SLTC द्वारा अनुमोदित राशि                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 01       | बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना में 10 वार्डों के 6000 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 4 MLD का STP, 54 कि0मी0 सिवरेज नेटवर्क, 02 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन, 300 मी0 Effluent राइजिंग मेन एवं 3.210 कि0मी0 राइजिंग मेन का कार्य। | 121.8773034     | 121.8773034<br>केन्द्रांश-55.3680482<br>राज्यांश-66.5092552 |
| कुल राशि |                                                                                                                                                                                                                                                       | 121.8773034     | 121.8773034                                                 |

(एक सौ इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार चौतीस ₹0)

6. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत उक्त परियोजना का कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी बुडको होगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) को वर्ष 2025-26 तक क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्र प्रायोजित अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत परियोजना मद से राशि का व्यय किया जायेगा। बोधगया नगर परिषद् की आबादी के अनुरूप अमृत-2.0 योजना में परियोजना लागत का 50% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 50% राज्य सरकार को वहन करना होगा।

प्रस्तावित योजना के लिए राज्यांश की राशि ₹0 66,50,92,552/- (छियासठ करोड़ पचास लाख बानवे हजार पाँच सौ बावन ₹0) का वहन Ring Fence Account में उपलब्ध राशि से किया जाएगा।

बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना परियोजना में कुल राशि ₹0 1,21,87,73,034/- (एक सौ इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार चौतीस ₹0) का व्यय संभावित है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

| क्र0सं0  | वित्तीय वर्ष | परियोजना की राशि<br>(राशि करोड़ में) | वित्तीय वर्ष में कुल राशि<br>(राशि करोड़ में) |
|----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01       | 2025-26      | 121.8773034                          | 121.8773034                                   |
| कुल राशि |              | 121.8773034                          | 121.8773034                                   |

7. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि ₹0 1,21,87,73,034/- (एक सौ इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार चौतीस ₹0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

8. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक-03.10.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अभय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1667-571+200-डी0टी0पी0  
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>